□□□□ □□□□□
□□□□ □त्र□□□
(□□□□□, **योग व प्राकृतिक चिकित्सा**, □□□□□, **सिद्ध एवं होम्यो□□□**)

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न सं. 3052
06 □□□म□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

राष्ट्रीय □□□□ □□□□

3052. **श्री**□□□ □□□□□□□□ □□□□:
श्री □□□□ □□□□□□ □□□□□
श्री □□□□□ □□□ □□□□:

क□□ □□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक** □□□□□□, □□□□□, **सिद्ध** □□ □□म□□□□□ (□□□□) □त्री □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□:

(□) क□□ □□□□□ द्□□□ राष्ट्रीय □□□□ □□□□ (□□□□□□) □□□क्र□ □□□□□□ □□□□ स्वास्थ्य □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ प्र□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ तत्संबंधी ब्यौरा क□□ □;
(□) □□ □ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ कद्र द्□□□ प्र□□□□□ □□□□□ □□विभिन्न □□□□ □□ ब□□□□ क□□ □;
(□) क□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ष्ट्र □ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ज□/□□ □□ज□क्षेत्र-□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □, □□ □□ □□□□□ □□□□□ ब□□□□ क□□ □;
(□) क□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □स□□□ □□ प्र□□□□ □□□□ □□□□ □□ □क्षा□□□ □स□□□ □□ □□ स□□□□ □□□□ है/स्थापित □□□□□ □□□□□□ □;□□
(□) □□ □□□□ □□□□□ष्ट्र □□□□ □□□□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र-□□□ ब□□□□ क□□ □?

__उ□त□□__

__□□□□ □□ज□ □त्री (स□तंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)__

(□): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का कद्रीय प्रायोजित स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतगत आयुष □स□तालों और औषधालयों म □□श□□ □□□□□ □□□ब□ करवाने के लिए वित्ती□ □□□□□ □□प्र□□□□ □□□□ ह जिसम लोगों को प्राथमिक चिकित्सी□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ निदानों को □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र सरकार एनएएम के दिशानिदशों के अनुसार अपनी आवश्य□□□ दशाकर वित्तीय सहायता प्राप्त □□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□मौजूदा दिशानिदशों के अंतगत हेल्थ □□□ □□ □□□ प्र□□□□ □□□□□

(□) □□ (□): भारत सरकार देश म आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, □□□□, सिद्ध और होम्योपैथी (□□□□) □□□□□□ □□ □□□□ के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का कद्रीय प्रायोजित स्की□

क्रियान्वि□ □□ □□ी □□ मिशन म □न्□ □□□ं □□□□-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए ह जिसम □□□ □□□□□□ □□ उन्नयन और सुदृढ़ीकरण □□□□ □□

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों और जिला अस्पतालों म आयुष सुविधाओं का सह-स□□□□□□

(ii) □□ मात्र राज्य □□□□ □□□ □स□□□ं □□ □□□□□ं □□ □न्□□□□

(iii) 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना।

(iv) □ज्□ □□□□ □□स□□तकपूव और स्ना□□□त□र शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

(v) □□ राज्यों □ □□ □□□□ □□□ □क्षा□□ □स□□ं □ी स□□□□ □□□□सरकारी क्षेत्र म □□□ब□ □□□ □□

(vi) □□□□, सिद्ध, □□□□ □□ □म□□□□ (□□□□□□□□□□) □ी □ज्□ □□□□/□ज्□ □□□□ □□□□ी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की फार्मसियों का सुदृढ़ीकरण।

(vii) एएसयू एवं एच औषधों के लिए राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(viii) प्र□स□रण और कटाई उपरांत प्रबंधन सहित □□□□ □□□□ं □ी □ि□ □□□□ □□□□□□

□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □□श्रे□□□□ □□ □□□ प्र□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □द्र □□□□ द□□□ □□□□ष्ट्र □□□□ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों □□ □□ □□ □□ं □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□/निर्मुक्त □□□□ं □□ब□□□□□ग□□-I □□ □□

(□) □□ (□): □□, □□□□□□□ प्र□□□□ □□□□□, □□□□ □□□ज्□ वार्षिक काय योजना के माध्य□ □□ प्राप्त प्रस्□वों के अनुसार उन राज्यों/□□ □ज्□ क्षेत्रों म आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है जहां ऐसे शैक्षणिक संस्थान सरकारी क्षेत्र म उपलब्ध नहीं ह। देश के विभिन्न □ज्□ं □ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □क्षा□□ □स□नों की स्थापना के लिए दी गई मंजूरी के ब्यौ□□□□ग□□-II पर ह। तथापि, □□ □□□ □□□□□ □□□ष्ट्र □ज्□ से कोई प्रस्ता□ प्रा□□ □□□□□ □□

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आवंटित/निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल निर्मुक्ति
1	अंडमान और निकोबार	394.821	302.330	317.886	53.872	1068.909
2	आंध्र प्रदेश	1125.531	1176.012	1280.206	1900.594	5482.343
3	अरुणाचल प्रदेश	465.450	545.706	547.844	0.000	1559.000
4	असम	1631.649	2390.692	738.328	1601.322	6361.991
5	बिहार	1752.914	0.000	0.000	2661.298	4414.212
6	चंडीगढ़	509.320	490.520	52.552	0.000	1052.392
7	छत्तीसगढ़	1624.737	1226.755	1066.868	0.000	3918.360
8	दादरा व नगर हवेली	91.797	143.403	0.000	63.854	299.054
9	दमन और दीव	113.184	0.000	72.010	0.000	185.194
10	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	गोवा	622.597	262.468	146.898	118.651	1150.614
12	गुजरात	1533.046	1274.394	1760.855	0.000	4568.295
13	हरियाणा	1034.396	848.442	1201.361	2050.624	5134.823
14	हिमाचल प्रदेश	614.212	718.927	1907.010	2045.892	5286.041
15	जम्मू-कश्मीर	769.208	992.584	1196.727	1848.539	4807.058
16	झारखंड	48.011	0.000	0.000	1522.312	1570.323
17	कर्नाटक	1241.455	2059.866	2688.312	1791.709	7781.342
18	केरल	891.204	2096.234	2597.838	0.000	5585.276
19	लक्षद्वीप	509.729	63.747	0.000	257.708	831.184
20	मध्य प्रदेश	2645.333	3059.684	2829.126	4012.347	12546.490
21	महाराष्ट्र	529.186	1784.285	0.000	4308.643	6622.114
22	मणिपुर	1229.987	1339.326	1231.226	907.075	4707.614
24	मिजोरम	603.754	693.478	722.739	199.510	2219.481
24	मेघालय	802.743	738.254	0.000	348.210	1889.207
25	नागालैंड	521.284	1516.916	920.869	950.580	3909.649
26	ओडिशा	1221.301	1561.020	1072.734	726.096	4581.151
27	पुडुचेरी	170.000	239.995	445.520	0.000	855.515
28	पंजाब	1317.811	1348.662	37.451	1155.493	3859.417
29	राजस्थान	2225.209	6893.256	3022.174	1987.595	14128.234
30	सिक्किम	874.071	180.087	270.316	179.973	1504.447
31	तमिलनाडु	1980.541	2789.072	2326.305	1993.913	9089.831

32	तेलंगाना	1330.696	1055.111	690.364	934.178	4010.349
33	त्रिपुरा	334.062	1195.541	668.670	0.000	2198.273
34	उत्तर प्रदेश	8466.625	6280.230	11854.151	194.820	26795.826
35	उत्तराखंड	1187.929	1986.097	1690.281	0.000	4864.307
36	पश्चिम बंगाल	1298.056	1654.646	2292.419	1849.740	7094.861
	कुल	41711.849	48907.740	45649.040	35664.548	171933.177

अनुलग्नक-II

2014-15 तक 2019-20 **के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना के लिए अनुमोदित इकाइयां को संख्या**

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष**					
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	-	-	1	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	1	-	-	-	-
3	असम	1	-	1	-	-	-
4	[illegible]	-	1	-	-	-	-
5	[illegible]	-	-	1	-	-	-
6	[illegible]	-	-	-	1	1	-
7	उत्तराखंड	-	-	-	1		-
8	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	1	-
9	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	1	-
	कुल	1	2	3	2	3	-

****